

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 825/2021

दिनांक: 03.03.2021

श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), तत्कालीन वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) हाल वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं को दिनांक 25.02.2021 से 01.03.2021 तक 05 दिनों का परावर्तित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री कटारा की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर) के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
26/3/2021

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.2(4)/28/2011/2015

दिनांक : 30.03.2021

प्रतिनिधि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर जिला, जयपुर को उनके पत्रांक 2610 दिनांक 19.03.2021 के सन्दर्भ में।
3. श्री बालकृष्ण कटारा (RJ0660), वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं।
4. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोटपूतली (जयपुर जिला, जयपुर)।

26/3/21
सहायक रजिस्ट्रार